


राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान
(यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय)
17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली- 110016

फा. सं. 23-I/ठीसी/2023/नीपा
12 जून, 2023

गुणवता और एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से और नीपा के बाहर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला/सेमिनार के बजटीय प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया गया है जो निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए नीपा द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सेमिनारों, सम्मेलनों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए बैंग का चयन करेगी। जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम सामग्री जैसे रेशनरी आइटम, सूचना गाइड इत्यादि रखे जाते हैं।

- (क) प्रशिक्षण सामग्री की खरीद के लिए आवंटित बजट
(ख) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम
(ग) प्रशिक्षण कार्यक्रम/संगोष्ठी/कार्यशाला के दिनों की संख्या (1-2 दिन का कार्यक्रम/3-5 दिन का कार्यक्रम/1-2 महीने का कार्यक्रम)
(घ) किसी विशेष कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम की गतिविधियों पर निर्भर करते हुए, प्रशिक्षण सामग्री का वजन।

1. प्रो. संदीप कुमार मिश्र	अध्यक्ष
निदेशक, सीपीआरएचई, नीपा	
2. डॉ. अनशु श्रीवास्तव	सदस्य
सह- प्रोफेसर, नीपा	
3. डॉ. मोना सेदवाल	सदस्य
सहायक प्रोफेसर, नीपा	
4. श्री ए.एन. रेड्डी	सदस्य
सहायक प्रोफेसर, नीपा	
5. डॉ. डी.एस. ठाकुर	सदस्य
प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी), नीपा	
6. सुश्री सोनम आनंद सागर	सदस्य समन्वयक
प्रभारी, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, नीपा	


(डॉ. संदीप चटर्जी)
कुलसचिव

प्रति,

समिति के सभी सदस्य

प्रतिलिपि:

- सभी संकाय सदस्य
- कुलपति के वरिष्ठ निजी सचिव
- कुलसचिव के निजी सहायक
- प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)
- वित्त अधिकारी
- सिस्टम एनालिस्ट- इसे नीपा वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ
- छात्रवास वार्डन
- प्रभारी, सामान्य प्रशासन
- मास्टर फ़ाइल
- कार्यालय आदेश फ़ाइल